SHRI JYOTIRMOY BOSU I was allowed because I had the authority

(*Interruptions*)

MR SPEAKER Only the supplementary and nothing else was allowed

SHRI JYOTIRMOY BOSU Sir, I want your obsecrvation on this This is a very important matter

MR SPEAKER I have made my observation

SHRI JYOTIRMOY BOSU This is a very important question Therefore, you should kindly make an observation today A direction should come that those who have written authority from the Member concerned should be allowed to put a supplementary

MR SPEAKER In that case, they will be allowed to put a supplementary only in the second round

---

12 12 hrs

## MATTERS UNDER RULE 377

### (i) Reported unemployment of seven and a half lakh apprentices

**डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** (मदसौर) अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत उन साढे सात लाख अप्रेंटिसो के बारे मे जो बेरोजगारी का शिकार होकर इधर-उधर भटक रहे हैं और सबधित मत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूगा

अप्रेंटिस अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षित या छात्रवृत्ति प्राप्त साढे सात लाख ऐसे युवक युवतिया है जिन्हें बेरोजगारी की ठोकरे खानी पड रही है। इन अप्रेंटिसो के प्रशिक्षण पर सरकार का प्रतिमास लगभग 130 रु० व्यय करना पडता है, और कुल मिला कर इन पर व्यय की जाने वाली यह राशि बहुत बडी राशि हो जाती है। विभिन्न संस्थानो मे यह लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं लेकिन प्रशिक्षण के बाद भी उन्हे किसी प्रकार का कार्य न मिलना यह चिन्ता का विषय है। विभिन्न सस्थानो मे जहां यह प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं इन व्यक्तियो को प्रशिक्षण न कर अन्यथा दूसरे काम लिये जाते हैं। यह भी इस अधिनियम की सर्वथा अवहेलना करना है। ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियो की सख्या सबसे ज्यादा दिल्ली में ही है जो 5 6 हजार के करीब है। इडियन एयरलाइन्स, दिल्ली विद्युत प्रदाय तथा रेलो मे और अन्य सस्थानो मे ऐसे अप्रेंटिसो की सख्या भारी है।

मैं आपके माध्यम से सबधित मत्री महादय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूगा कि इनके बारे म कोई निश्चित नीति निर्धारित की जाय ताकि ऐसे व्यक्तियो को जो प्रशिक्षण प्राप्त करते है उन्हे इधर उधर न भटकना पडे और सरकार जो उनको प्रशिक्षण देती है और उस पर पैसा खर्च करती है उनकी योग्यता का ठीक-ठीक उपयोग किया जा सके। इस मामले मे मत्री महोदय आश्वस्त करने की कृपा करे।

### (ii) Need for setting up of more alcohol based industries in Uttar Pradesh

SHRI SURENDRA BIKRAM (Shahjehanpur) Sir, under Rule 377, I would like to mention the following matter of urgent public importance, that is, the use of excessive alcohol produced in Uttar Pradesh

The Uttar Pradesh State produces almost half of the total alcohol production of the country that is about 150 million litres per year This quantity of annual production of alcohol in U.P. is bound to increase substantially during 1978-79 sugarcane season and onwards. The consumption of alcohol in U P is lesser than this huge production and, therefore, there is great